न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 283 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 11.08.2016

1. रामेश्वर पिता खेमा जाति चमार निवासी दुर्गाखेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती तुलसी बाई पत्नि खेमा जाति चमार निवासी दुर्गाखेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. धन्ना पिता कजोड जाति चमार निवासी दुर्गाखेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. बालु पिता कजोड जाति चमार निवासी दुर्गाखेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
3. भगवाना पिता कजोड जाति चमार निवासी दुर्गाखेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
4. रामा पिता कजोड जाति चमार निवासी दुर्गाखेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
5. सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
प्रकरण संख्या 30/2011 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 02.07.2016

उपस्थित– 1. जगदीश व्यास–अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. दिनेश दायमा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट–1 से 4
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 5

निर्णय **दिनांक 06.01.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वादीगण ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के विरूद्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा भुरक्याखुर्द तहसील डूंगला की खाता सं. 26 मे दर्ज आराजी नम्बर 101 रकबा 0.77 हैक्येटर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत

कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात स्वर्गीय कजोड के समय से चली आ रही है। कजोड की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस अपीलान्टगण के पिता खेमा रेस्पोडेन्ट धन्ना, बालु, भगवाना, रामा, मु0भुरी, नारायणी, प्यारी है जिसमे से नारायणी एवं प्यारी की मृत्यु हो चुकी है जिससे स्वर्गीय खेमा धन्ना बालु भगवाना रामा नियमानुसार उत्तराधिकारी हुए। वादग्रस्त आराजीयात मे मृतक नारायणी प्यारी का हिस्सा सभी मे बराबर हक अनुसार हुआ। स्वर्गीय खेमाजी की मृत्यु हो चुकी है जिसके अपीलान्टगण उत्तराधिकारी है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलान्टगण वादीगण का संयुक्त रूप से 1/6 एवं रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का 1/6, 1/6 हक व हिस्सा निहित है। अपीलान्टगण वादीगण रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदार नही रहना चाहते है। विधि अनुसार बंटवाडा कराना चाहते है। व स्थायी निषेधाज्ञा भी रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध चाही गई।

उक्त आशय का वादपत्र विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2011 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए। व दिनांक 29.7.2011 को जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ। जिस पर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से दिनांक 10.01.2012 को काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत हुआ। दावा जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2012 को तनकियात कायम की गई। व पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। वादी अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिवाई जाकर विचारण न्यायालय मे उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर दिनांक 02.07.2016 को अपना निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण का वाद निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील 01.08.2016 को प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2016 को अपील पंजीयन की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु नियत की।

अधिवक्ता अपीलान्ट का अपील मे मुख्य कथन यह रहा है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत तथ्यो के आधार पर बिना किसी सबुत के अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम डिक्री किया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम मे यह आधार लिया

गया कि भेरा व कजोड दोनो देवाजी के पुत्र थे जिनमे से भेरा के कोई संतान नही हुई तथा कजोड के अपीलान्ट के पिता भेरा व रेस्पोडेन्टगण व भुरी व नारायणी हुई। क्योकि भेरा के संतान नही होने के कारण उसने कजोड के बडे पुत्र अपीलान्टगण के पिता खेमा को बाल्यावस्था मे गोद की रस्म सम्पन्न कर खेमा को लहरिया बंधवा कर गोद रख लिया। खेमा को भेरा की गोद मे बैठाकर भेरा को गोदी पुत्र घोषित कर दिया। जिससे खेमा का कजोड की चल अचल सम्पत्ति मे कोई हक व अधिकार नही रहा। जिससे उसके वारिसान को भी कजोड की चल अचल सम्पत्ति मे हक मांगने का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी कजोड की तन्हा खातेदारी की होकर उसके वारिसान रेस्पोडेन्टगण के अलावा अन्य किसी का कोई अधिकार नही है। तथा कजोड के विरासती इतकाल संख्य 254 दिनांक 24.10.99 मे गलती से खेमा का नाम दर्ज हो गया जिसको हटाया जाकर व रेस्पोडेन्टगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे। उक्त काउन्टर क्लेम का जवाब अपीलान्टगण वादीगण की ओर से दिनांक 10.01.2012 को प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार कर काउन्टर क्लेम निरस्त करने निवेदन किया एवं अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया। दावा जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम के अनुसार विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम की। व उक्त तकियात पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के निरस्त कर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम बिना दस्तावेजी साक्ष्य के डिक्री किया है जिससे अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय मे पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण न्यायसंगत दस्तावेजी साक्ष्यो के अनुरूप होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी को उचित होना व अपीलान्टगण की अपील सारहीन होना बताते हुए निरस्त करने अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिक्ताओं की न्यायसंगत बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावजो का विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम जिसमें अपीलान्टगण वादीगण के पिता खेमा को भेराजी चमार निवासी लिंकोडा तहसील बडीसादडी के गोद जाना बताकर अपीलान्टगण वादीगण के पिता व अपीलान्टगण वादीगण का कजोड की विरासत मे कोई हक व अधिकार नही होना बताते हुए काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम की ताईद मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से नकल जमाबन्दी मौजा लिंकोडा तहसील बडीसादडी प्रस्तुत की ,उक्त जमाबन्दी मे खातेदार खेमा पिता भेरा चमार अंकित है। ऐसी स्थिति मे उक्त जमाबन्दी से खेमा को भेरा का गोदपुत्र होना कही विदित नही होता है व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से गोद के सम्बन्ध मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ जिससे खेमा का भेरा के गोद जाना प्रमाणित

हो। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मौजा भुरक्याखुर्द तहसील डुगला की होकर अपीलान्टगण वादीगण के पिता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 व भुरी नारायणी व प्यारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। व खेमा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से अपीलान्टगण वादीगण के नाम दर्ज है। अपीलान्टगण वादीगण के पिता खेमा का भी स्वर्गवास हो चुका है। खेमा जीवित था तब तक वादग्रस्त आराजीयात अपीलान्टगण वादीगण के पिता खेमा व रेस्पोडन्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड रही है। व खेमा का नाम दर्ज होने से पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 ने खेमा के जीवनकाल मे गोदपुत्र को लेकर कोई आपत्ति व एतराज पत्रावली पर नही पाया जाता है व काउन्टर क्लेम मे मुख्य बिन्दु खेमा भेरा के गोद गया है ,दस्तावेज से प्रमाणित नही होता है। बिना काउन्टर क्लेम प्रमाणित हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त कर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया है जो न्यायोचित होना प्रतीत नही होता है, जिससे अपीलांटगण वादीगण की ओर प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 30/2011 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 02.07.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकियात दिनांक 08.05.2012 पर पुनः विश्लेषण कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए अजसरे नवनिर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

चावण्डदान चारण
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़